पावर ग्रिड कोर्पोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

PGCIL/R/21/M-12

दिनांक: 9 July, 2021

Shri Mohit Gupta,
Mohit Gupta S/o Shri Devender Kumar, Residence - Flat No. E-4,
Brahma Apartment, Plot No. 7, Sector-7, Dwarka, New Delhi - 110075

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 10 June, 2021 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-I मे संलग्न है ।

यदि आप केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी. अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (सी. एम. जी.) एवं अपील प्राधिकारी
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीप,

(जसबीर सिंह) 09/07/21

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

अनुलग्नक-I

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री मोहित गुप्ता द्वारा मांगी गई जानकारी के संदर्भ में ।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, उप महाप्रबंधक नंबर 20142, जो कि वर्तमान में केंद्रीय सतकर्ता विभाग में तैनात है, के विषय में जानना चाहता हूं कि क्या प्रदीप कुमार अग्रवाल के द्वारा सन 2015-2016 में अपने पुत्र प्रतीक अग्रवाल के संबंध में विभाग से कितना पैसा अपने पी. एफ. फण्ड से निकाला गया तथा सन 2019 और 2020 में अपनी पुत्री सोमिया के विवाह में अपने सरकारी फण्ड से कुल कितना पैसा निकाला गया, ऋण लिया गया, इसकी पूर्ण जानकारी विवरण सहित उपलब्ध कराई जाये ।	मांगी गई जानकारी को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत संरक्षित किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि ऐसी कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की जानी चाहिए जो व्यक्तिगत जानकारी का गठन करती हो और व्यक्तियों की गोपनीयता का हनन करती हो। (The information which is sought is protected under Section 8(1)(j) of the RTI Act which provides that any such information shall not be provided which constitutes personal information and is invasive of the privacy of individuals.)
2	क्या प्रदीप कुमार अग्रवाल के द्वारा सन 2015-2016 और सन 2019 में विभाग को कोई ऐसी जानकारी दी गई कि उन्होने अपनी पुत्री के विवाह में 40 लाख रूपये से ज्यादा खर्च किये वह पैसा उन्होंने किन-किन लोगों से उधार लिया या विभाग से कर्जा लिया और अपने फण्ड से निकाले है इसकी क्या विभाग को जानकारी दी है या नहीं बताया जाये, तथा अगर विभाग से कर्जा या फण्ड से पैसा निकाला है तो उसकी पूर्ण विवरण के साथ जानकारी दी जाये ।	
3	क्या 27 सितंबर 2019 से प्रदीप कुमार अग्रवाल को सतकर्ता विभाग का उच्च अधिकारी के पद पर मनोनीत किया गया तो उनके द्वारा विभाग को अपनी चल व अचल संपत्ति तथा बैंक जमा पूंजी के विषय में विभाग को बताया गया कि उनके पास आज तक कितनी चल व अचल संपत्ति व पूंजी है और इस लाभ के पद पर रहने के दौरान उनकी आय व्यय में कितनी अधिक बढोतरी हुई है, की पूर्ण जानकारी विवरण सहित उपलब्ध कराई जाये ।	
4	क्या सतकर्ता विभाग के किसी कर्मचारी को पूरी तरह से यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी के खिलाफ किसी भी कार्यवाही को बंद करने या उसे चालू करने का आदेश प्रदान करते	पावरग्रिड के सतकर्ता विभाग के समस्त कर्मचारी मुख्य सतकर्ता अधिकारी के अधिनस्त कार्य करते हैं एवं बिना मुख्य सतकर्ता अधिकारी की अनुमति के, वे किसी

	हैं और प्रतिवर्ष उनके द्वारा अपने परिवार की आय-व्यय और चल व अचल संपत्ति का ब्यौरा देना आवश्यक है या नहीं इसकी पूर्ण विवरण के साथ जानकारी दी जाये।	भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र नहीं है ऐसे सभी मामलों का निष्पादन केंद्रीय सतकर्ता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मुख्य सतकर्ता अधिकारी की अनुमति से किया जाता है। पावरग्रिड के सभी कर्मचारियों को सीडीए नियमों के अनुसार अपनी अचल संपत्ति रिटर्न और चल संपत्ति घोषणा जमा करना आवश्यक है।

-----x-----

RPSingh